भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-168
उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

शीर्ष वरीयता वाले संस्थानों से बाहर के छात्रों के लिए विद्यालक्ष्मी योजना

†168. श्री दयानिधि मारन:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) सरकार द्वारा विद्यालक्ष्मी योजना का विस्तार शीर्ष वरीयता वाले संस्थानों से बाहर के छात्रों, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और टियर-2 अथवा टियर-3 शहरों के छात्रों तक करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) यह योजना कब तक पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगी और क्या वर्तमान में वित्तीय तंगी का सामना कर रहे छात्रों को कोई अंतरिम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या कोई विशिष्ट बेंचमार्क या मैट्रिक्स विद्यमान हैं, जिनका उपयोग छात्रों के नामांकन और पूर्णता की दरों के संदर्भ में योजना के प्रभाव का आकलन करने के लिए किया जाएगा;
(घ) सरकार इस योजना की सतत्ता को किस प्रकार सुनिश्चित करती है और क्या लाभार्थियों की संख्या बढ़ने पर बजट आबंटन को बढ़ाने अथवा समायोजित करने के संबंध में कोई रूपरेखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) क्या ऋण चुकाने संबंधी शर्तों को आसान बनाने अथवा ऐसे छात्रों के लिए ऋण माफी प्रदान करने के लिए कोई उपबंध हैं, जिन्हें स्नातक स्तर पर वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ) केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 06.11.2024 को एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना पीएम-विद्यालक्ष्मी को स्वीकृति प्रदान की है, जिसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) के मेधावी छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। मूल्यांकन वर्ष 2024-25 के लिए, एनआईआरएफ रैंकिंग के आधार पर देश के 860 एचईआई को चिह्नित किया गया है।

क्यूएचईआई टियर-2 या टियर-3 शहरों सहित देश भर में विद्यमान हैं। पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के तहत, गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों (क्यूएचईआई) में प्रवेश लेने वाला कोई भी छात्र, पाठ्यक्रम से संबंधित ट्यूशन फीस और अन्य व्ययों की पूरी राशि को कवर करने के लिए बैंकों और वित्तीय संस्थानों से संपार्श्विक मुक्त, गारंटर मुक्त ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र होगा। जिन छात्रों ने इन क्यूएचईआई में डिग्री/डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए दिनांक 07.11.2024 से शिक्षा ऋण लिया है, वे इस योजना के अंतर्गत पात्र हैं। यह योजना एनआईआरएफ रैंकिंग द्वारा निर्धारित समग्र, श्रेणी-विशिष्ट और डोमेन विशिष्ट रैंकिंग में एनआईआरएफ में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त करने वाले राष्ट्र के सर्वोच्च गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षण संस्थानों पर लागू होगी जिसमें सरकारी और निजी सभी उच्च शिक्षण संस्थान शामिल हैं; इसमें एनआईआरएफ में 101-200 रैंक प्राप्त राज्य सरकार के उच्च शिक्षण संस्थान तथा सभी केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान शामिल हैं। वर्ष 2024-25 से 2030-31 के दौरान 3,600 करोड़ रुपये का परिव्यय किया गया है और इस अवधि के दौरान 7 लाख नए छात्रों को इस ब्याज छूट का लाभ मिलने की प्रत्याशा है। 7.5 लाख रुपये तक की ऋण राशि के लिए, छात्र बकाया चूक के 75% की क्रेडिट गारंटी के लिए भी पात्र होगा। इससे बैंकों को योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

*****